Te Aka Matua o te Ture
Law Commission

Hara ngākau kino

घृणा अपराध

परामर्श पत्र का सारांश

इस दस्तावेज़ के बारे में

यह परामर्श पत्र का सारांश है जो Te Aka Matua o te Ture के लिए है | विधि आयोग द्वारा घृणा अपराध से जुड़े कानून की समीक्षा। इसमें घृणा अपराध से जुड़े कानून के बारे में जानकारी दी गई है और उन विषयों के बारे में सवाल पूछे गए हैं जिन पर हम अपनी समीक्षा में विचार करेंगे।

प्रस्तुतिकरण करना

हम आपके विचारों को सुनना चाहते हैं। आपकी प्रतिक्रिया से हमें सरकार को घृणा अपराध के कानून पर सिफारिशें भेजने में मदद मिलेगी। आप हमें एक प्रस्तुतिकरण भेजकर बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको इस सारांश में सभी सवालों के जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। 13 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक प्रस्तुतिकरण जमा किए जा सकते हैं।

आप निम्नलिखित तरीकों से अपना प्रस्तुतिकरण पेश कर सकते हैं:

- हमारी वेबसाइट पर एक प्रस्तुतिकरण फॉर्म भरके: https://www.lawcom.govt.nz/our-work/hate-crime;
- हमें hate.crime@lawcom.govt.nz पर ईमेल भेजकर; या
- हमें इस पते पर पत्र लिख कर: Hate crime, Law Commission, PO Box 2590, Wellington 6140.

यदि ये विकल्प आपके लिए उपलब्ध नहीं हैं या प्रस्तुतिकरण करने के दौरान आप कोई सहायता चाहते हैं, तो कृपया नीचे दिए गए किसी एक माध्यम से हमसे संपर्क करें:

- हमें hate.crime@lawcom.govt.nz पर ईमेल भेजकर;
- हमें 0800 832 526 पर कॉल करके; या
- अगर आप बहरे हों, कम सुनते हों, बधिर-अंधे हों, कम सुनते हों, आपको बात करने में कठिनाई होती हो तो न्यूज़ीलैंड रिले सर्विस का इस्तेमाल करके। रिले सर्विस की वेबसाइट यहां दी गई है: https://www.nzrelay.co.nz/index.

कुछ लोगों को प्रस्तुतिकरण भावनात्मक या तकलीफ़देह लग सकता है। यदि आप कोई प्रस्तुतिकरण देना चाहते हैं, तो आप किसी ऐसे सहायक व्यक्ति की व्यवस्था कर सकते हैं जो आपकी मदद के लिए तैयार हो। यदि आप परेशान या व्यथित हैं तो आप 1737 पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। यह एक

निःशुल्क हेल्पलाइन सेवा है जो हर रोज 24 घंटे उपलब्ध है। आपको प्रशिक्षित सलाहकार से बात करने या टेक्स्ट मैसेज भेजने का मौका मिलेगा। सेवा Whakarongorau Aotearoa | न्यूज़ीलैंड टेलीहेल्थ सेवा द्वारा प्रदान की जाती है।

आपके प्रस्तुतिकरण का क्या होगा?

यदि आप हमें कोई प्रस्तुतिकरण भेजते हैं, तो हम:

- अपनी समीक्षा में प्रस्तुतिकरण पर विचार करेंगे; और
- इस प्रस्तुतिकरण को अपने आधिकारिक रिकॉर्ड के हिस्से के तौर पर रख लेंगे।

हम यह भी कर सकते हैं:

- अपने प्रकाशनों में आपके प्रस्तुतिकरण को संदर्भित करना;
- आपके प्रस्तुतिकरण को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना; और
- आपके प्रस्तुतिकरण का इस्तेमाल दूसरी समीक्षाओं में अपने काम को सूचित करने के लिए करना।

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं: https://www.lawcom.govt.nz/have-your-say/making-a-submission/.

हमारी वेबसाइट या हमारे प्रकाशनों में प्रस्तुतिकरण का प्रकाशन

आप अनुरोध कर सकते हैं कि हम आपके प्रस्तुतिकरण में आपका नाम या पहचान से जुड़ी कोई अन्य जानकारी प्रकाशित न करें। आप यह भी अनुरोध कर सकते हैं कि हम प्रस्तुतिकरण के दूसरे हिस्सों को प्रकाशित न करें (जैसे कि, आपके बारे में संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारी)।

यदि आप इसका अनुरोध करते हैं, तो हम उन विवरणों या आपके प्रस्तुतिकरण के कुछ हिस्सों को अपनी वेबसाइट या अपने प्रकाशनों में नहीं छापेंगे। यदि आप इस प्रकार का कोई अनुरोध *नहीं* करते हैं तो हम आपके प्रस्तुतिकरण को पूरे तौर पर या उसके किसी हिस्से को प्रकाशित कर सकते हैं।

आधिकारिक जानकारी के लिए अनुरोध

विधि आयोग द्वारा रखी गई जानकारी आधिकारिक सूचना अधिनियम 1982 के अधीन है। यदि हमें सूचना के लिए कोई ऐसा अनुरोध मिलता है जिसमें आपके प्रस्तुतिकरण का ज़िक्र हो, तो हमें उसे जारी करने पर ज़रूर विचार करना होगा। यह निर्णय लेते समय कि हमें आपके प्रस्तुतिकरण को जारी करने

की आवश्यकता है या नहीं, हम अपनी वेबसाइट या हमारे प्रकाशनों में जानकारी प्रकाशित न करने के आपके किसी भी अनुरोध पर विचार करेंगे, साथ ही उस अनुरोध के लिए आपके द्वारा दिए गए कारणों पर भी विचार करेंगे। हम आपसे सलाह लेने की कोशिश भी करेंगे।

गोपनीयता अधिनियम 2020

विधि आयोग को दी गई जानकारी गोपनीयता अधिनियम 2020 के अधीन है। आपके प्रस्तुतिकरण में व्यक्तिगत जानकारी हो सकती है। आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी तक पहुंचने और उसे सही करने का अधिकार है।

हमारी समीक्षा (अध्याय 1)

1. विधि आयोग Aotearoa न्यूज़ीलैंड में घृणा अपराध से जुड़े कानून की समीक्षा कर रहा है। 'घृणा अपराध' का अर्थ है ऐसा व्यवहार जो:
    - न्यूजीलैंड के कानून के तहत पहले से ही एक आपराधिक कृत्य है; और
    - यह अपराध ऐसे लोगों के समूह के प्रति नफरत या दुश्मनी की वजह से किया जाता है जिनकी विशेषताएं एक समान होती हैं (जैसे कि, जाति, वर्ण, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग, लैंगिक पहचान, यौन उन्मुखता, उम्र या विकलांगता)।
2. मौजूदा कानून के तहत, किसी अपराधी को सज़ा सुनाने के दौरान उसकी नफरत पैदा करने की प्रेरणा या उत्तेजना को ध्यान में रखा जाता है। 15 मार्च 2019 को क्राइस्टचर्च मस्जिद (मुस्लिम पूजा स्थल) पर हुए आतंकवादी हमले की जांच के लिए गठित रॉयल इनक्वायरी कमीशन ने घृणा अपराध के लिए नए कानून बनाने की सिफारिश की। इस समीक्षा में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या मौजूदा कानून में कोई समस्या या कमी है और यदि है, तो कानून को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। रॉयल कमीशन की सिफारिश के अनुसार, इसमें घृणा अपराध की नई धाराएं बनाना भी शामिल हो सकता है। समीक्षा में घृणा उत्पन्न करने वाले भाषण पर विचार नहीं किया जा रहा है।
3. परामर्श पत्र और सारांश से संबंधित इस दस्तावेज़ का मकसद यह है कि आम जनता के विचारों को सुना जाए। हमें जो प्रस्तुतिकरण मिलेंगे, वे सुधार के मकसद से प्रस्तावों को विकसित करने में हमारी मदद करेंगे। इस समीक्षा में बाद में हम विशेषज्ञों से बात करने का मंसूबा बना रहे हैं और हमारी बातचीत कानून में प्रस्तावित किसी भी बदलाव की व्यवहारिकता के सिलसिले में होगी। हमारी योजना है कि 2026 के मध्य में न्याय मंत्री को रिपोर्ट सौंप दें।

घृणा अपराध और उसके प्रभाव (अध्याय 2)

4. घृणा अपराध पीड़ित की पहचान को उजागर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि पहचान को इस तरह उजागर करने से और भी अधिक मानसिक क्षति पहुंचती है — पीड़ित के लिए और प्रभावित समुदाय के दूसरे सदस्यों के लिए भी, जो खुद को खतरे से घिरे हुए और निशाने पर महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि घृणा अपराध लोगों को एक-दूसरे से दूर महसूस करवाकर व्यापक समाज को भी नुकसान पहुंचाता है।

5. हम Aotearoa न्यूज़ीलैंड में घृणा अपराध के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। 2019 से, Ngā Pirihimana o Aotearoa | न्यूज़ीलैंड पुलिस ने रिपोर्ट किए गए उन अपराधों पर डेटा इकठ्ठा किया है, जिनके बारे में पीड़ित या कोई दूसरा व्यक्ति यह मानता है कि वे घृणा से प्रेरित थे। 2023 में, घृणा अपराध के 5,019 मामले दर्ज किये गए (जो सभी दर्ज अपराधों का 0.9 प्रतिशत हैं)। आम अपराधों में उत्पीड़न, सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन (जैसे अव्यवस्थित व्यवहार), चोट पहुंचाने के इरादे से किए गए काम, और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शामिल थे। जिन विशेषताओं को सबसे ज़्यादा लक्षित किया गया, उनमें नस्ल या जातीयता, और उसके बाद यौन उन्मुखीकरण, धर्म और लिंग पहचान शामिल थे। 2021 से अब तक, रिपोर्ट किए गए घृणा अपराधों में से 14-18 प्रतिशत की जांच इस हद तक की गई कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त सबूत मिल गए थे और फिर पुलिस ने कार्रवाई करने का फैसला किया। इनमें से लगभग आधे मामलों में मुकदमा चलाया गया।

प्रश्न 1: क्या आप हमें Aotearoa न्यूज़ीलैंड में हो रहे घृणा अपराध और उसके प्रभावों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे?

सुधार संबंधी प्रमुख विचार (अध्याय 3)

6. हमने कुछ प्रमुख बिंदुओं की पहचान की है जो यह सोचने में हमारी मदद करेंगे कि क्या वाकई कानून में सुधार की ज़रूरत है। इन विचारों से हमें सुधार के विकल्पों का आकलन करने में भी मदद मिलेगी।

घृणा अपराध को अन्य अपराधों के मुकाबले अधिक गंभीरता से लेने की आवश्यकता

7. घृणा अपराध के कानून दूसरे अपराधों के मुकाबले में घृणा अपराध को ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं। इसके कारण इस बात से जुड़े हुए है हैं कि क्या सच में कानून में सुधार की आवश्यकता है। संभव है कि हमारा कानून घृणा अपराध को अधिक गंभीरता से नहीं ले रहा हो।

8. आम तौर पर इस बात के चार कारण बताए जाते हैं कि घृणा अपराध को दूसरे अपराधों के मुकाबले अधिक गंभीरता से क्यों लिया जाना चाहिए:

    - दूसरे अपराधों से तुलना की जाए तो घृणा अपराध की वजह से कई प्रकार की अतिरिक्त हानि होती है;

- घृणा अपराध करने वाले लोग, दूसरे अपराधियों की तुलना में अधिक कसूरवार होते हैं;
- कानून को यह संदेश देना चाहिए कि घृणा अपराध एक गंभीर गुनाह है; और
- घृणा अपराध करने वाले व्यक्ति को कठोर सज़ा देने का मतलब होगा कि कम लोग घृणा अपराध करेंगे (हालांकि इस बात के प्रमाण हैं कि कठोर सज़ा लोगों को अपराध करने से नहीं रोकती है)।

नई आपराधिक धाराएं बनाना कब उचित होता है?

9. इस समीक्षा में इस बात पर गौर किया जा रहा है कि घृणा अपराध की नई धाराएं बनाई जाएं या नहीं। सरकारी मार्गदर्शन में कहा गया है कि आपराधिक धाराएं केवल तभी बनाई जानी चाहिए जब इसके पीछे अच्छे कारण हों। जो व्यवहार पहले से ही अपराध है, उसे तभी और आपराधिक बनाया जाना चाहिए, जब उससे कोई अतिरिक्त उद्देश्य पूरा होता हो, जो वर्तमान कानून से हासिल नहीं किया जा सकता। आपराधिक सज़ा का किसी व्यक्ति पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और राज्य को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

Ngā tikanga

10. जब विधि आयोग अपनी सिफ़ारिशें दे तो उस दौरान उसे ao Māori (the Māori जगत) का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। इसमें tikanga भी शामिल है, जो मूल्यों और सिद्धांतों की एक ऐसी प्रणाली है जो te ao Māori में रिश्तों को नियंत्रित करती है। tikanga के बारे में सोचना, Aotearoa न्यूज़ीलैंड में अच्छे कानून बनाने का एक सुस्थापित हिस्सा है।
11. हमारा शोध बताता है कि tikanga में घृणा अपराध के बराबर की कोई अवधारणा नहीं थी। हालांकि, हम घृणा अपराध और tikanga की hara, kanga और kōruhu जैसी अवधारणाओं के बीच समानताओं पर विचार कर चुके हैं।
    - Hara का ज़िक्र एक ऐसी कार्रवाई के रूप में किया गया है जो इंसाफ या कानून का उल्लंघन करती है।
    - Kanga और kōruhu दोनों गंभीर hara हैं। Kanga का वर्णन मौखिक दुर्व्यवहार के रूप किया गया है, जिसमें किसी को श्राप देना भी शामिल है। Kōruhu का वर्णन इस तरह से किया गया है कि इसमें अपराधी बिना किसी पछतावे के या बिना किसी अच्छे कारण के चोट या नुकसान पहुंचाता है।

12. इन अवधारणाओं से पता चलता है कि घृणा अपराध को tikanga के तहत एक गंभीर अपराध माना जाएगा।

Te Tiriti o Waitangi | Waitangi की संधि

13. Waitangi की संधि Aotearoa न्यूज़ीलैंड में सरकार का आधार है और जब कानून बदलने के बारे में सोचना हो तो उस दौरान इस पर गौर किया जाना चाहिए। हमारे लिए चुनौती यह है कि इस समीक्षा के दायरे में क्राउन की संधि से जुड़े दायित्वों को किस तरह से प्रभावी बनाया जाए, जो केवल घृणा अपराध के कानून पर विचार कर रही है। हम इस पर आपके विचारों का स्वागत करते हैं।

14. जैसे कि, क्राउन के दायित्वों में से एक यह भी है कि tino rangatiratanga के इस्तेमाल की रक्षा की जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि क्राउन Māori को अनुमति दे कि वह अपने मामलों को अपने लिए अनुकूल तरीके से प्रबंधित करे। घृणा अपराध की जवाबी प्रतिक्रिया में Māori समुदायों को बेहतर ढंग से शामिल करने के तरीके शामिल हो सकते हैं। क्राउन का यह भी दायित्व है कि वह Māori और न्यूज़ीलैंड के अन्य वासियों के बीच पनपने वाली असमानताओं को दूर करे। आपराधिक न्याय प्रणाली के तमाम स्तरों पर Māori का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, जिनमें कथित घृणा अपराधी भी शामिल हैं। अति-अपराधीकरण का खतरा ख़ास तरह के घृणा अपराधों को शुरू करने के खिलाफ जा सकता है।

मानवाधिकार दायित्व

15. कानून-सुधार Aotearoa न्यूज़ीलैंड के मानवाधिकार दायित्वों के अनुसार होना चाहिए।

16. कुछ लोगों को लगता है कि घृणा अपराध से जुड़े कानून ज़रूरी हैं, जिनका उपयोग अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों को पूरा किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि हमारा कानून पहले से ही इन दायित्वों को पूरा करता हो, क्योंकि यह अदालतों से अपेक्षा करता है कि वे सज़ा सुनाने के दौरान घृणा की प्रेरणा पर विचार करें।

17. अन्य लोगों का कहना है कि घृणा अपराध के कानून मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, जिनमें निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं:

    - वैचारिक स्वतंत्रता (क्योंकि घृणा अपराध के कानून अपराधी के उद्देश्यों और विश्वासों को दंडित करते हैं);

- अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता (क्योंकि अपराधी ने जो बातें कहीं हैं या दूसरे लोगों के साथ उसके रिश्ते का उपयोग करके घृणा से जुडी प्रेरणा को साबित किया जा सकता और उनकी सज़ा बढ़ाई जा सकती है); और
- समानता (क्योंकि घृणा अपराध के पीड़ितों और अपराधियों के साथ दूसरे अपराधों के पीड़ितों और अपराधियों से अलग व्यवहार किया जाता है)।

18. यदि उचित कारण हों तो इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। Te Kōti Pīra | अपील न्यायालय ने कहा है कि Aotearoa न्यूज़ीलैंड के घृणा अपराध कानून ने विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों पर जो सीमाएं निर्धारित की हैं, वे घृणा अपराध कानून के अहम उद्देश्यों को देखते हुए उचित हैं।

घृणा अपराध कानूनों के ज़रिए किन विशेषताओं की रक्षा की जानी चाहिए?

19. हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि Aotearoa न्यूज़ीलैंड के घृणा अपराध संबंधी कानूनों के ज़रिए किन विशेषताओं की रक्षा की जानी चाहिए। इससे हमें यह फैसला लेने में मदद मिलेगी कि कानून में कोई बदलाव किया जाए या नहीं और यह कि बदलाव कैसे दिखने चाहिए।

20. हमें इस पर विचार करना होगा:

- घृणा अपराध से लोगों का कोई समूह कितनी गंभीरता से प्रभावित होता है;
- समूह के प्रति किस तरह का विद्वेष है; और
- क्या घृणा अपराध का कानून अपराधी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है।

21. विदेशों में इस बात पर बहस चल रही है कि क्या लिंग, लैंगिकता और उम्र जैसी कुछ विशेषताओं को भी दायरे में लिया जाना चाहिए। जैसे कि, इस बात पर अलग-अलग विचार हैं कि क्या घृणा अपराध का कानून महिलाओं और बुज़ुर्गों के खिलाफ घटित अपराध के खतरों से जुड़ी चिंताओं को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है।

22. मौजूदा कानून के तहत, किसी भी "स्थायी सामान्य विशेषता" को सुरक्षा दी गई है। यदि हम सोचते हैं कि Aotearoa न्यूज़ीलैंड में कोई नया नज़रिया, जैसे कि ख़ास तरह की कोई घृणा अपराध धारा शुरू की जाए, तो हमें यह तय करना होगा कि किन विशेषताओं की रक्षा की जानी चाहिए। घृणा अपराध धाराएं केवल खास किस्म की विशेषताओं की रक्षा करती हैं।

23. इस सारांश के बाकी के हिस्से में, घृणा अपराध कानून की ओर से कवर की गई विशेषताओं को 'संरक्षित विशेषताएं' के रूप में संदर्भित करें।

प्रश्न 2: इस समीक्षा में हम Te Tiriti o Waitangi | Waitangi संधि के तहत क्राउन के दायित्वों को सबसे बेहतर तरीके से कैसे कायम रख सकते हैं?

प्रश्न 3: घृणा अपराध कानूनों के ज़रिए किन विशेषताओं की रक्षा की जानी चाहिए? क्यों?

प्रश्न 4: इस समीक्षा के लिए हमने जिन प्रमुख सुधार संबंधी बातों की पहचान की है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं?

आपराधिक न्याय प्रणाली में फ़िलहाल घृणा अपराध से कैसे निपटा जाता है? (अध्याय 4)

वर्तमान कानून

24. वर्तमान कानून के तहत, अदालत किसी मुजरिम को सजा सुनाते समय घृणा के कारण पर विचार करती है। दंड अधिनियम के अनुसार सज़ा देने वाली अदालत को घृणा के कारण पर गौर करना चाहिए, यदि:

> … अपराधी ने अपराध को, थोड़ा बहुत या पूरे तौर पर, ऐसे लोगों के समूह के प्रति विद्वेष की वजह से अंजाम दिया है जिनके पास जाति, वर्ण, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग पहचान, यौन उन्मुखता, उम्र या विकलांगता जैसी समान और स्थायी विशेषताएं हैं; और
>
> (i) विद्वेष सामान्य विशेषता की वजह से है; और
>
> (ii) अपराधी का मानना था कि पीड़ित/पीड़िता में वह विशेषता है: …

25. घृणा का कारण एक 'उत्तेजक कारक' है। इसका मतलब यह है कि इसका परिणाम कड़ी सज़ा हो सकता है, लेकिन इससे अपराध के लिए अधिकतम दंड में इज़ाफ़ा नहीं होगा। यह किसी भी अपराध पर लागू हो सकता है।

26. घृणा अपराध को बढ़ाने वाला कारक उन अनेक कारकों में से एक है, जिन्हें अदालत किसी आरोपी को सज़ा सुनाने के दौरान ध्यान में रखती है। अन्य उत्तेजक कारकों में वास्तविक या धमकी से भरी हिंसा या हथियार का इस्तेमाल, जुर्म करने के दौरान ख़ास तरह की क्रूरता और पीड़ित की अरक्षितता (जैसे कि, उसकी उम्र या सेहत की वजह से) शामिल हैं।

घृणा अपराध की पहचान, रिकॉर्डिंग और उसकी जांच

27. जैसा कि ऊपर बताया गया है, पुलिस अब घृणा अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करती है। इसने पुलिस अधिकारियों के लिए इस बारे में मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी तैयार किया है कि वे घृणा अपराध की पहचान, रिकॉर्डिंग और जांच किस तरह से कर सकते हैं। जब किसी घृणा अपराध की जांच हो जाती है तो उसके बाद, पुलिस तय करती है कि उसे किस तरह से प्रतिक्रिया देनी है। अपराध पर मुकदमा चलाने के लिए कभी-कभी पर्याप्त सबूत नहीं होंगे। कभी-कभी वैकल्पिक उपाय, जैसे चेतावनी, ज़्यादा उचित हो सकते हैं।

घृणा अपराध पर मुकदमा चलाना

28. किसी व्यक्ति पर किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाने का फैसला अभियोजक करता है। अधिकांश घृणा अपराधों पर पुलिस अभियोजक मुकदमा चलाते हैं। बेहद गंभीर घृणा अपराधों पर मुकदमा क्राउन सॉलिसिटर चलाते हैं। किसी अपराध पर तभी मुकदमा चलाया जाता है जब पर्याप्त सबूत मौजूद हों और जनहित में मुकदमा चलाना ज़रूरी हो। जनहित में मुकदमे की आवश्यकता है या नहीं, यह फैसला लेते समय उत्तेजक कारकों (जैसे अपराधी की घृणा का कारण) को ध्यान में रखा जा सकता है।

29. अभियोजक घृणा के कारण का सबूत देने के लिए पुलिस अधिकारियों पर निर्भर रहते हैं। यदि पर्याप्त सबूत न हों तो सज़ा सुनाते समय घृणा के कारण का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता।

घृणा अपराध के अपराधियों को सज़ा देना

30. यदि किसी प्रतिवादी को कसूरवार ठहराया जाता है, तो सज़ा सुनाने के दौरान अदालत को घृणा के कारण को भी एक गंभीर कारक के रूप में लेना चाहिए। कभी-कभी अदालत यह फैसला देगी कि अपराध घृणा से प्रेरित था, और यह फैसला मुकदमे से प्राप्त साक्ष्य या तथ्यों को देखकर लिया जाएगा जिन पर अभियोजक और प्रतिवादी द्वारा सहमति व्यक्त की गई होगी। यदि प्रतिवादी और अभियोजक इस बात पर सहमत नहीं हैं कि क्या हुआ था, तो अभियोजक को इसके अलावा और भी सबूत पेश करने की आवश्यकता हो सकती है।

31. अदालतों ने घृणा अपराध को उत्तेजित करने वाले कारक की मोटे तौर पर व्याख्या की है। यह आमतौर पर तब लागू होगा जब अपराधी ने किसी सामान्य विशेषता की बुनियाद पर पीड़ित के प्रति दुश्मनी ज़ाहिर की हो। जैसे कि, अदालतों ने घृणा अपराध को उत्तेजित करने वाले कारक

को तब लागू किया है, जहां अपराधी ने अपराध के दौरान पीड़ित के खिलाफ नस्लवादी या समलैंगिकता विरोधी टिप्पणियां की थीं।

32. हमने पाया कि अदालत के फैसलों में उत्तेजक कारक लागू करने के लिए जाति, वर्ण या राष्ट्रीयता, सबसे सामान्य आधार थे। इन फैसलों में हत्या, हमला, धमकी, विस्फोटकों पर कब्ज़ा और उनका इस्तेमाल, डकैती और सेंधमारी, आपत्तिजनक प्रकाशनों को वितरित करना, यौन उत्पीड़न और आतंकवादी कृत्यों के साथ ही कई तरह के अपराध शामिल हैं।

घृणा अपराध के अपराधियों का पुनर्वास

33. Ara Poutama Aotearoa | सुधार विभाग अपराधियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम प्रदान करता है। ये कार्यक्रम उन नज़रियों और व्यवहारों को बदलने की कोशिश करते हैं जिनकी वजह से अपराध होते हैं। ये आम तौर पर सिर्फ उन्हीं अपराधियों के लिए उपलब्ध होते हैं जिनके दोबारा अपराध करने का जोखिम मध्यम या बहुत ज़्यादा होता है। अगर ज़रूरतें समूह कार्यक्रमों के माध्यम से पूरी न हो पाएं तो अपराधी व्यक्तिगत रूप से मनोवैज्ञानिक से भी मिल सकते हैं।

34. घृणा अपराध करने वालों के लिए कोई खास पुनर्वास कार्यक्रम नहीं है। सुधार विभाग ने हमें बताया कि यह असंभव है कि घृणा अपराध के लिए सज़ा काट रहे अपराधियों की पर्याप्त संख्या होगी, जिन्हें सुरक्षित रूप से एक साथ रखा जा सके। इसने हमें यह भी बताया कि मौजूदा कार्यक्रम और व्यक्तिगत इलाज घृणा अपराध करने वालों के लिए कारगर हो सकते हैं।

35. यदि सुधार विभाग को पता चलता है कि किसी व्यक्ति का अपराध घृणा से प्रेरित था, तो इससे यह संभावना बढ़ सकती है कि उसे कार्यक्रम में शामिल किया जाए या व्यक्तिगत उपचार किया जाए। हालांकि, सुधार विभाग को हमेशा यह नहीं बताया जाता कि अपराधी ने घृणा अपराध किया है या नहीं। जिन अपराधियों के दोबारा अपराध करने का जोखिम मध्यम या बेहद अधिक होता है, उनके लिए सुधार विभाग अदालत के सज़ा संबंधी नोट पढ़ता है, जिसमें घृणा के कारण का ज़िक्र हो सकता है।

क्या वर्तमान कानून में कोई समस्या है? (अध्याय 5)

यह दिखाना कि घृणा अपराध गंभीर है

36. कुछ लोगों का मानना है कि कानून को यह संदेश देना चाहिए कि घृणा अपराध एक गंभीर अपराध है। मौजूदा कानून के तहत ऐसा इस तरह से हो सकता है:

- अदालत की सुनवाई में या लिखित सज़ा के फैसले में न्यायाधीश द्वारा किसी अपराध को घृणा अपराध कहना;
- मीडिया द्वारा घृणा अपराध के बारे में रिपोर्टिंग; या
- अपराधी को कड़ी सज़ा मिलना।

37. हालांकि, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मौजूदा कानून आम जनता को घृणा अपराध और उसकी गंभीरता के बारे में जानकारी देने के लिए काफी नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि:
    - घृणा का कारण उस अपराध का हिस्सा नहीं है जिसके लिए व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है;
    - सज़ा के फैसलों में यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि घृणा के कारण पर विचार किया गया था या नहीं या इससे सज़ा में कितना बदलाव आया;
    - अदालतों को घृणा अपराधों के लिए कड़ी सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है; और
    - किसी अपराध के लिए अधिक से अधिक सज़ा एक ही होती है, भले ही वह घृणा अपराध हो या न हो।

घृणा अपराध की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना

38. रॉयल कमीशन ने पाया कि घृणा अपराध की रिपोर्ट अक्सर पुलिस को नहीं दी जाती है।
39. ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कोई व्यक्ति घृणा अपराध की रिपोर्ट नहीं करता। जैसे कि, वे निम्नलिखित कर सकते हैं:
    - हो सकता है कि वे यह न सोचें कि घृणा अपराध इतना गंभीर है कि पुलिस को रिपोर्ट किया जाए;
    - हो सकता है कि वे यह न जानते हों कि अपराधी कौन था; या
    - हो सकता है कि वे पुलिस के साथ नकारात्मक अनुभव या विचार रखते हों जो उन्हें रिपोर्ट करने से रोकते हैं।
40. हम जानना चाहते हैं कि लोग घृणा अपराध की रिपोर्ट पुलिस को क्यों नहीं करते हैं और रॉयल कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, क्या उसके बाद से इसमें कोई सुधार हुआ है। रॉयल कमीशन की जांच के बाद, पुलिस ने प्रशिक्षण और मार्गदर्शन की शुरुआत की, जिसमें पुलिस अधिकारियों को घृणा अपराध की रिपोर्टों को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया गया।

सुनिश्चित करना कि प्रासंगिक मामलों में घृणा के कारण को संबोधित किया जाए

41. हम जानना चाहते हैं कि क्या पुलिस घृणा के कारण की लगातार जांच कर रही है और क्या सज़ा सुनाते समय अभियोजक इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पुलिस मार्गदर्शन और प्रशिक्षण में हुए हालिया बदलाव से घृणा अपराध के प्रति इसकी प्रतिक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन यह जानना अभी जल्दबाज़ी होगी।

42. हम यह भी जानना चाहते हैं कि क्या अदालती कार्यवाही के अन्य चरणों में भी घृणा के कारण पर गौर किया जाना चाहिए, जैसे कि जब अदालत यह फैसला लेती है कि किसी प्रतिवादी को जमानत दी जाए या नहीं, या उसी अपराधी के संबंध में बाद में सज़ा के फैसले सुनाते समय।

घृणा अपराध के मामलों के बारे में जानकारी एकत्र करना

43. मौजूदा कानून के तहत, घृणा का कारण अपराध का हिस्सा नहीं है। इससे रिपोर्ट किए गए घृणा अपराध और मामले के नतीजों के बारे में सटीक जानकारी इकठ्ठा करना मुश्किल हो सकता है।

44. पुलिस ने व्यावहारिक परिवर्तन किए हैं ताकि वह रिपोर्ट किए गए घृणा अपराध की रिकॉर्डिंग में सुधार कर सके और इस सिलसिले में उसने आम लोगों के लिए जानकारी जारी करना शुरू कर दिया है। हर साल दर्ज किए जाने वाले घृणा अपराधों की संख्या में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है।

45. घृणा अपराध के अभियोजन के बारे में अभी भी जानकारी का अभाव है (जैसे कि, क्या अपराधी को दोषी ठहराया जाता है और उसे क्या सज़ा मिलती है) और क्या सज़ा सुनाते समय घृणा के कारण को ध्यान में रखा जाता है।

उत्तेजक कारक को लागू करना

46. हमने घृणा अपराध को उत्तेजित करने वाले कारक की शब्दावली और न्यायालयों द्वारा इसे लागू करने के बारे में तीन संभावित चिंताओं की पहचान की है।

47. सबसे पहले, उत्तेजक कारक तब लागू होता है, जब अपराधी पूरे तौर पर *या थोड़ा बहुत* दुश्मनी से प्रेरित था। यह ज़रूरी नहीं है कि दुश्मनी ही अपराध का मुख्य कारण हो। इसका मतलब यह है कि अपराध को उत्तेजित करने वाला कारक वहां लागू हो सकता है जहां घृणा अपराध की कोई छोटी सी वजह हो। हालांकि, हमें ऐसा होने का कोई उदाहरण नहीं मिला।

48. दूसरा, यह उत्तेजक कारक ऐसे लोगों के समूह के खिलाफ अपराध करने पर लागू होता है, जिनमें एक "स्थायी सामान्य विशेषता" होती है। इसका मतलब हमेशा ही स्पष्ट नहीं होता। जैसे

कि, सेक्स एक "स्थायी सामान्य विशेषता" नज़र आती है, लेकिन महिलाओं के प्रति दुश्मनी को उत्तेजित करने वाला कारक शायद ही कभी लागू किया जाता है। इस बात को लेकर अनिश्चितता कि उत्तेजक कारक किन विशेषताओं पर लागू होना चाहिए, इससे ऐसे फैसले भी हो सकते हैं कि जनता को उनकी उम्मीद भी नहीं होगी। जैसे कि, न्यू साउथ वेल्स में इसी तरह के उत्तेजक कारक का इस्तेमाल किया गया है, ताकि बाल यौन अपराधी माने जाने वाले लोगों को बचाया जा सके।

49. तीसरा, उत्तेजक कारक सिर्फ तभी लागू होता है जब अपराधी का मानना हो कि पीड़ित में कोई संरक्षित विशेषता मौजूद है। जैसे कि, यह तब लागू नहीं होगा जब कोई अपराधी सार्वजनिक संपत्ति पर घृणा भरे नारे लिखे, बिना यह जाने या यह परवाह किए बिना कि उसका मालिक कौन है।

अपराधियों की पुनर्वास आवश्यकताओं का आकलन करना

50. चूंकि किसी व्यक्ति की सज़ा में घृणा का कारण रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इसलिए रॉयल कमीशन ने सोचा कि पुनर्वास सहायता की ज़रूरत को नजरअंदाज़ किया जा सकता है। सुधार विभाग ने सोचा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। पुनर्वास सहायता खासतौर से मध्यम और बड़े जोखिम वाले अपराधियों को दी जाती है, और सुधार विभाग को यह पता होना चाहिए कि क्या ये अपराधी घृणा से प्रेरित थे, क्योंकि यह भाग उनकी सज़ा के नोट और अन्य अदालती जानकारी को पढ़ता है।

51. हालांकि, घृणा अपराध करने वाले कुछ लोग, जिन्हें कम जोखिम वाला माना जाता है, उनके लिए पुनर्वास सहायता की ज़रूरत को नजरअंदाज़ किया जा सकता है। ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां अपराधी की घृणा का कारण अदालत के सज़ा के नोट से स्पष्ट नहीं होता। इससे सुधार-विभाग के लिए यह बताना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है कि क्या मध्यम या बड़े जोखिम वाला अपराधी घृणा से प्रेरित था (हालांकि मूल्यांकन और उपचार के दौरान यह बात साफ़ हो सकती है)।

प्रश्न 5: क्या आपको लगता है कि Aotearoa न्यूज़ीलैंड का मौजूदा घृणा अपराध कानून जिस तरह से काम कर रहा है, उसमें समस्याएं हैं? यदि हां, तो वे समस्याएं कौन सी हैं?

सुधार विकल्पों का अवलोकन (अध्याय 6)

52. विदेशों में घृणा अपराध से निपटने के लिए तीन मुख्य कानूनी मॉडल उपयोग में लाए जाते हैं:

- सज़ा वृद्धि मॉडल (वर्तमान में Aotearoa न्यूजीलैंड में उपयोग किया जाता है);

- विशिष्ट घृणा अपराध (रॉयल कमीशन द्वारा अनुशंसित); और
- स्कॉटिश हाइब्रिड मॉडल, जो सज़ा वृद्धि मॉडल और विशिष्ट घृणा अपराध के पहलुओं को जोड़ता है।

53. यदि हम यह फैसला लें कि मौजूदा कानून में कुछ समस्याएं हैं, तो इनका समाधान निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है:
    - सज़ा वृद्धि मॉडल के काम करने के तरीके में सुधार करके, कानून या परिचालन पद्धति में संशोधन करके; या
    - एक अलग कानूनी मॉडल अपना कर।

54. नए अपराध सिर्फ तभी बनाए जाने चाहिए जब उनके पीछे अच्छे कारण हों और उनसे कुछ ऐसा हासिल हो जो मौजूदा कानून से हासिल नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि मौजूदा कानून की किसी भी समस्या का समाधान सज़ा वृद्धि मॉडल में सुधार करके किया जा सकता है। यदि ऐसी समस्याएं हैं जिनको इस तरीके से हल नहीं किया जा सकता, तो एक अलग कानूनी मॉडल पर गौर किया जा सकता है। हम इस सारांश में आगे चलकर इन दोनों विकल्पों पर प्रतिक्रिया चाहेंगे।

55. हमने नीचे दी गई तालिका में तीन मुख्य कानूनी मॉडलों की कुछ खास विशेषताओं की तुलना की है।

घृणा अपराध से निपटने वाले कानूनी मॉडल			
	सज़ा वृद्धि	**विशिष्ट अपराध**	**स्कॉटिश हाइब्रिड मॉडल**
कौन से अपराध इसमें शामिल हैं?	सभी अपराध	केवल निर्दिष्ट अपराध	सभी अपराध
कौन सी विशेषताएं संरक्षित हैं?	कोई भी स्थायी सामान्य विशेषता	केवल निर्दिष्ट विशेषताएं	केवल निर्दिष्ट विशेषताएं

क्या घृणा के कारण को दोषी करार दिए जाने का हिस्सा माना गया है?	नहीं	हां	हां
क्या घृणा अपराध के लिए कोई अधिकतम सज़ा है?	नहीं	हां	नहीं
वर्तमान में इस मॉडल का इस्तेमाल कहां किया जाता है?	न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया (न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और उत्तरी क्षेत्र), इंग्लैंड और वेल्स (विशिष्ट अपराधों के साथ), कनाडा, उत्तरी आयरलैंड	ऑस्ट्रेलिया (पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड), इंग्लैंड और वेल्स (सज़ा वृद्धि के साथ)	स्कॉटलैंड

वर्तमान कानूनी मॉडल में सुधार (अध्याय 7)

56. वर्तमान में Aotearoa न्यूज़ीलैंड में घृणा अपराध से निपटने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कानूनी मॉडल को सज़ा वृद्धि मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल के तहत, किसी अपराधी को सज़ा सुनाते समय उसकी घृणा के कारण को एक उत्तेजक कारक के रूप में माना जाता है। घृणा का कारण अपराध का हिस्सा नहीं है, और अपराध के लिए अधिकतम दंड में कोई बदलाव नहीं होता है।

सज़ा वृद्धि मॉडल को बनाए रखने के लाभ

57. अन्य कानूनी मॉडलों की तुलना में सज़ा वृद्धि मॉडल के कई फायदे हैं। जैसे कि:

- यह सभी अपराधों और स्थायी सामान्य विशेषताओं पर लागू होता है;
- घृणा संबंधी प्रेरणा की गंभीरता का आकलन मामला-दर-मामला के आधार पर किया जाता है;

- अदालत के समय और उसकी लागत की बात करें तो यह ज़्यादा कुशल है, क्योंकि घृणा के कारण को मुकदमे में साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है और अक्सर इस पर विवाद नहीं होता है; और
- वर्तमान कानूनी मॉडल को बरकरार रखने से महत्वपूर्ण कानूनी सुधार की लागत और अनिश्चितता से बचा जा सकेगा।

सज़ा वृद्धि के मॉडल में सुधार करने के तरीके

58. ऐसे कई तरीके हो सकते हैं जिन्हें काम में लाकर कानूनी मॉडल में बदलाव किए बिना ही मौजूदा कानून की कार्य-प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। हम जानना चाहते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। हम नीचे कुछ विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं।

यह दिखाना कि घृणा अपराध गंभीर है

59. यदि वर्तमान कानून यह दिखाने के लिए काफी नहीं है कि घृणा अपराध गंभीर है, तो इसे संबोधित करने के कुछ तरीके निम्नलिखित हो सकते हैं:
    - सज़ा देने वाले न्यायाधीशों को यह बताने के लिए कहना कि मामला घृणा अपराध से जुड़ा हुआ था, वह भी एक अदालती सुनवाई में जो जनता और मीडिया के सामने हो;
    - सज़ा सुनाने वाले न्यायाधीशों से यह स्पष्ट करने की अपेक्षा करना कि अपराधी के घृणा करने के कारण ने उसकी सज़ा को किस तरह से प्रभावित किया;
    - मौजूदा अपराधों के लिए अधिकतम दंड की समीक्षा करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अपराधी की घृणा के कारण को शामिल करने के लिए काफी हैं।

घृणा अपराध की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना

60. यदि घृणा अपराध की रिपोर्ट करने में रुकावटें आ रही हैं, तो कानूनी मॉडल को बदलना इस समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। अन्य विकल्पों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
    - जन जागरूकता अभियान;
    - रिपोर्टिंग के वैकल्पिक तरीकों को शुरू करना, जैसे कि समुदाय पर आधारित सेवाएं जो पीड़ितों और अन्य लोगों की तरफ से घृणा अपराध की रिपोर्ट कर सकती हैं।

घृणा अपराध पर मुकदमा चलाना

61. यदि सज़ा सुनाते समय अभियोजक घृणा के कारण का मुद्दा संगत रूप से नहीं उठाते हैं, तो इसे संबोधित करने के कुछ और विकल्प हो सकते हैं:

    - घृणा अपराध के अभियोजन के सिलसिले में क्राउन सॉलिसिटर को सलाह देना, जो उस मार्गदर्शन के समान है जो पुलिस अभियोजकों को पहले से दिया जा चुका है।
    - अदालती प्रणाली में घृणा अपराध के मामलों को चिन्हित करना। अभियोजकों से यह पूछा जा सकता है कि क्या प्रतिवादी के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है, वह कथित घृणा अपराध है। एक चिन्ह न्यायाधीशों को इशारा दे सकता है कि वे सज़ा सुनाते समय और अन्य प्रासंगिक समयों पर घृणा के कारण पर विचार करें (जैसे कि प्रतिवादी को जमानत देने का फैसला लेने के दौरान)।

घृणा अपराध अभियोजन के नतीजों से जुड़ी जानकारी में सुधार करके

62. यदि घृणा अपराध के मामलों को न्यायालय प्रणाली में चिन्हित कर लिया जाता है (जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है), तो अदालतें उन मामलों से जुड़ी जानकारी को पुलिस के साथ साझा करने में सक्षम हो सकती हैं। इससे पुलिस को यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि अभियोजक कितनी बार सज़ा सुनाने के दौरान घृणा के कारण का मुद्दा उठाते हैं और घृणा अपराध अभियोजन का नतीजा क्या होता है।

घृणा अपराध को उत्तेजित करने वाले कारक को लागू करना

63. यदि घृणा अपराध को उत्तेजित करने वाले कारक को लागू करने को लेकर चिंताएं हैं, तो यह संभव है कि कारक की शब्दावली को बदलकर उन्हें दूर किया जा सके। जैसे कि:

    - यदि ऐसी चिंता हो कि घृणा अपराध की एक छोटी सी वजह होने पर भी अपराध को उत्तेजित वाला कारक लागू हो सकता है, तो इसे बदला जा सकता है ताकि घृणा अपराधी की प्रेरणा का एक अहम हिस्सा बन जाए।

- यदि इस बात को लेकर चिंता है कि कौन सी विशेषताएं उत्तेजक कारक ने संरक्षित की हैं, तो कारक को बदला जा सकता है ताकि यह किसी भी "स्थायी सामान्य विशेषता" के बजाय केवल सूचीबद्ध विशेषताओं पर लागू हो। एक दूसरा विकल्प यह है कि संरक्षित विशेषताओं के उदाहरणों की सूची को बदल दिया जाए।
- यदि समस्या यह है कि उत्तेजक कारक सिर्फ उस स्थिति में लागू होता है, जहां अपराधी का मानना है कि पीड़ित में संरक्षित विशेषता है, तो इस आवश्यकता को हटाया जा सकता है।

घृणा अपराध के अपराधियों का पुनर्वास

64. यदि अपराधियों की पुनर्वास से जुड़ी ज़रूरतों को पहचानने में कोई समस्या है, तो न्यायालय प्रणाली में चिन्हित किए गए किसी भी घृणा अपराध की सूचना को सुधार विभाग के साथ साझा किया जा सकता है। इसके बाद सुधार विभाग को घृणा अपराधों के लिए दोषी करार दिए जाने के फैसलों के बारे में बताया जाएगा।

प्रश्न 6: यदि Aotearoa न्यूज़ीलैंड के घृणा अपराध कानून की कार्यप्रणाली में समस्याएं हैं, तो क्या उन्हें वर्तमान कानूनी मॉडल (सज़ा वृद्धि) को बनाए रखते हुए संबोधित किया जा सकता है? यदि हां, तो कैसे?

घृणा अपराध से निपटने के लिए अन्य कानूनी मॉडल (अध्याय 8)

65. यदि हम यह फैसला लेते हैं कि सज़ा वृद्धि मॉडल में ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता, तो हम कानूनी मॉडल को बदलने की सिफारिश कर सकते हैं। हम दो अन्य कानूनी मॉडलों से जुड़ी प्रतिक्रिया में रुचि रखते हैं जिनका इस्तेमाल विदेशों में घृणा अपराध से निपटने के लिए किया जाता है (जिसे उसके हिसाब से या सज़ा वृद्धि में अपनाया जा सकता है):
    - विशिष्ट घृणा अपराध (रॉयल कमीशन द्वारा अनुशंसित); और
    - स्कॉटिश हाइब्रिड मॉडल, जो सज़ा वृद्धि मॉडल और विशिष्ट घृणा अपराध के पहलुओं को जोड़ता है।

विशिष्ट घृणा अपराध

66. इस मॉडल के तहत, घृणा की प्रेरणा उस अपराध का हिस्सा है जिसके लिए व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है। इसको मुकदमे के दौरान तर्कसंगत संदेह से परे रहते हुए साबित किया जाना

चाहिए (जब तक कि प्रतिवादी अपराध स्वीकार न कर ले)। यदि प्रतिवादी को कसूरवार ठहराया जाता है, तो अदालत की सज़ा से जुड़े नोटों और मीडिया की रिपोर्टिंग से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अपराध घृणा से प्रेरित होकर किया गया था, क्योंकि घृणा का कारण अपराध का हिस्सा है। घृणा का कारण अपराधी के आपराधिक रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाता है।

कौन से अपराध कवर किए जाने चाहिए?

67. घृणा अपराध आम तौर पर पहले से मौजूद अपराधों (जैसे हमला) पर आधारित होते हैं। पहले से मौजूद इन अपराधों को 'मूल अपराध' कहा जाता है। घृणा अपराध मूल अपराध के समान ही होता है, सिवाय इसके कि अभियोजन पक्ष को यह भी दिखाना होगा कि अपराधी घृणा से प्रेरित था। घृणा अपराध के लिए दी जाने वाली अधिकतम सज़ा मूल अपराध से अधिक होती है।

68. अपराध तर्कसंगत रूप से विशिष्ट होने चाहिए, ताकि जनता को यह स्पष्ट हो सके कि किस तरह के आचरण की अनुमति नहीं है। हर अपराध के लिए अधिकतम दंड भी निर्धारित होना चाहिए। इस वजह से, घृणा अपराध मूल अपराधों और संरक्षित विशेषताओं को सिर्फ सीमित संख्या में ही कवर करते हैं।

69. यदि हम विशिष्ट घृणा अपराध शुरू करने की सलाह देते हैं, तो हमें इस बात पर गौर करना होगा कि वे किन अपराधों पर लागू होने चाहिए। कुछ बातें जिनके बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है वे हैं:

    - कितनी बार कोई मूल अपराध घृणा से प्रेरित होता है; और
    - कि क्या मूल अपराध के लिए अधिकतम दंड पहले से ही काफी अधिक है जिससे घृणा अपराध करने वालों को दंडित किया जा सके।

70. रॉयल कमीशन ने आक्रामक व्यवहार या भाषा, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने, धमकी देने, हमला करने, आग लगाने और इरादतन नुकसान पहुंचाने को घृणा अपराध की श्रेणी में रखने की सिफारिश की। हालांकि, इसमें सभी घृणा अपराध शामिल नहीं होंगे। जैसे कि, Aotearoa न्यूज़ीलैंड में चोरी और विस्फोटकों का इस्तेमाल या उन्हें अपने पास रखने को घृणा अपराध माना गया है।

प्रश्न 7: यदि विशिष्ट घृणा अपराध को अपनाया जाता है, तो उनमें कौन से अपराध शामिल होने चाहिए? क्यों?

फायदे और नुकसान

71. यदि सज़ा वृद्धि मॉडल से तुलना की जाए तो विशिष्ट घृणा अपराधों के कुछ फायदे हो सकते हैं। जैसे कि, वे निम्नलिखित कर सकते हैं:

    - एक प्रभावशाली संदेश भेज सकते हैं कि घृणा अपराध गंभीर है;
    - घृणा अपराध की रिकॉर्डिंग और निगरानी में सुधार कर सकते हैं;
    - इसका मतलब यह ले सकते हैं कि ज़्यादा अपराधों की जांच की जाएगी और घृणा अपराधों के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा;
    - घृणा अपराध से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूकता बढ़ाकर लोगों के विचारों को बदल सकते हैं;
    - प्रतिवादी के प्रति अधिक निष्पक्ष रह सकते हैं, क्योंकि घृणा के कारण को मुकदमे के दौरान तर्कसंगत संदेह से परे साबित करना होगा (जब तक कि प्रतिवादी ने दोष स्वीकार न कर लिया हो)।

72. विशिष्ट घृणा अपराध के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि:

    - वे सभी घृणा अपराधों को कवर नहीं करते। कुछ लोगों को यह अनुचित लग सकता है।
    - वे आपराधिक मुकदमों को ज़्यादा लंबा, ज़्यादा जटिल और ज़्यादा महंगा बना सकते हैं। प्रतिवादियों द्वारा दोष स्वीकार करने की संभावना भी कम हो सकती है। अभियोजन पक्ष को मुकदमे में घृणा के कारण को साबित करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें पीड़ितों और दूसरे गवाहों से और अधिक सबूत हासिल करना शामिल हो सकता है।
    - कुछ मामलों में घृणा के कारण की पहचान नहीं की जा सकती। जैसे कि, अभियोजक किसी व्यक्ति पर घृणा अपराध के बजाय मूल अपराध का आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि प्रतिवादी मूल अपराध के लिए दोषी होना कबूल कर लेगा।
    - घृणा के कारण को अन्य सज़ा वृद्धि कारकों (जैसे गंभीर क्रूरता या पीड़ित की असुरक्षा) के मुकाबले में अधिक गंभीरता से लिया जाएगा।

- अपराधियों को उनकी प्रेरणा के आधार पर अधिक कठोर दंड देने से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। संदिग्धों की राय और उनके विश्वास की जांच करने से अभिव्यक्ति पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है।
- घृणा अपराध के अपराधों को अल्पसंख्यकों और निचले सामाजिक-आर्थिक समूहों (खास तौर से Māori, जिनका आपराधिक न्याय प्रणाली में अत्यधिक प्रतिनिधित्व है, जिनमें कथित घृणा अपराध करने वाले भी शामिल हैं) के विरुद्ध बेमेल तरीके से लागू किया जा सकता है।

स्कॉटिश हाइब्रिड मॉडल

73. इस मॉडल के तहत किसी भी अपराध की पहचान 'घृणा से उत्तेजित' के तौर पर हो सकती है। जब प्रतिवादी पर आरोप लगाया जाता है, तो अभियोजक को यह ज़रूर कहना चाहिए कि अपराध घृणा से उत्तेजित हुआ था, और मुकदमे में उत्तेजना को साबित किया जाना चाहिए (जब तक कि प्रतिवादी अपना अपराध स्वीकार न कर ले)। किसी अपराधी को सज़ा सुनाते समय घृणा के कारण को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन अपराध के लिए अधिकतम सज़ा में कोई बदलाव नहीं होता। दोषसिद्धि से पता चलता है कि अपराध घृणा से प्रेरित था।
74. विशिष्ट अपराध मॉडल की तरह, स्कॉटिश हाइब्रिड मॉडल भी सिर्फ निर्दिष्ट संरक्षित विशेषताओं पर ही लागू होता है।
75. स्कॉटिश हाइब्रिड मॉडल में विशिष्ट अपराधों के लिए एक जैसे फायदे और नुकसान हैं। इसमें मुख्य अंतर यह है कि:

- यह घृणा अपराधों के लिए अधिकतम सज़ा में इज़ाफ़ा नहीं करता है (इसलिए विशिष्ट अपराध घृणा अपराध की गंभीरता को दिखाने का काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं);
- यह घृणा अपराध को ज़्यादा कवर करता है, क्योंकि यह किसी भी अपराध पर लागू होता है;
- यह सरल है, क्योंकि यह घृणा से प्रेरित कई तरह के भिन्न अपराध नहीं बनाता है।

76. स्कॉटिश हाइब्रिड मॉडल की एक संभावित आलोचना यह है कि अभियोजकों को मुकदमे में घृणा के कारण को साबित करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, क्योंकि घृणा से प्रेरित अपराध के लिए अधिकतम दंड उतना ही है जितना गैर-उत्तेजक अपराध के लिए है।

प्रश्न 8: क्या Aotearoa न्यूज़ीलैंड में एक अलग कानूनी मॉडल, जैसे कि विशिष्ट घृणा अपराध या स्कॉटिश हाइब्रिड मॉडल, पेश किया जाना चाहिए? क्यों या क्यों नहीं?

यदि नया कानूनी मॉडल अपनाया जाए तो क्या सज़ा वृद्धि मॉडल को बरकरार रखा जाना चाहिए?

77. विशिष्ट अपराध और स्कॉटिश हाइब्रिड मॉडल दोनों का उपयोग सज़ा वृद्धि मॉडल के साथ किया जा सकता है। यदि कोई नया कानूनी मॉडल अपनाया जाए तो हम जानना चाहते हैं कि क्या मौजूदा सज़ा वृद्धि मॉडल को भी बरकरार रखा जाना चाहिए।

78. सज़ा वृद्धि मॉडल के साथ एक नए मॉडल का उपयोग करने के फायदे हैं:

- विशिष्ट अपराध या स्कॉटिश हाइब्रिड मॉडल के फायदे अब भी मिल सकेंगे; और
- सज़ा वृद्धि मॉडल उन घृणा अपराधों को भी कवर करेगा जो कि नए मॉडल द्वारा कवर नहीं किए गए थे।

79. सज़ा वृद्धि मॉडल के साथ नए मॉडल का उपयोग करने का मुख्य नुकसान यह है कि इससे कानून अधिक जटिल हो जाएगा। इस बारे में नियम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी कि सज़ा में वृद्धि कब लागू होगी। जैसे कि, क्या यह उस स्थिति में लागू होगी जब अभियोजन पक्ष प्रतिवादी पर किसी विशिष्ट घृणा अपराध का आरोप लगा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला लिया?

प्रश्न 9: यदि विशिष्ट घृणा अपराध या स्कॉटिश हाइब्रिड मॉडल शुरु किए जाते हैं, तो क्या सज़ा बढ़ाने वाले मॉडल को भी कायम रखा जाना चाहिए?